15/2018

में जारी हुए

न्याय आपका द्वार 2018

8 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मालपुरा में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी गणा का वाद बनाना एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति रिकार्ड एवं मौके की दशा स्थिति बनाये रखने हेतु उपपक्षों के अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप में स्वीकार किया जाता है तथा उपपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम पालपुरा तह. दौसा स्थित ख.नं. 2084 मय 2091, 2596 मय 2605 कुल क्षेत्र 18 कुल रकबा 3.72 है. भूमि के यथास्थिति रिकार्ड एवं मौके की दशा स्थिति बनाये रखें। प्रकरण की प्रकृति एवं परिस्थिति को देखते हुए वाद व्यय का विषय लिखा जाता है एवं मूल वाद के संलग्न है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पालपुरा के समक्ष आज में सार्वजनिक रूप से सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा